झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची।

संचिका सं०–परि०वि० (स्था०)–33 / 2018

संविदा पर नियोजन

परिवहन आयुक्त के नियंत्रणाधीन तत्कालिक व्यवस्था के तहत् मोटरयान निरीक्षक के पद पर अहर्त्ताधारी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को संविदा पर नियोजन करने का निर्णय लिया गया है।

मोटरयान निरीक्षक के पद पर अहर्त्ताधारी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु निम्नलिखित नियम / शर्त्त प्रतिपादित की जाती है:–

1. पद का विवरण :

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय
1.	मोटरयान निरीक्षक	कुल–10 UR-0 ST-6 SC-2 BC-I-1 BC-II-1	रू०–30759 / – प्रतिमाह (राँची, धनबाद, जमशेदपुर एवं बोकारो) तथा रू०–29055 / – प्रतिमाह अन्य शहरों के लिए (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा।)

2. शैक्षणिक अहर्त्ता :

क्रम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता / अनुभव	आयु सीमा
1.	मोटरयान निरीक्षक	(i) झारखण्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान के साथ मैट्रिक या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड / पर्षद की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। (ii) झारखण्ड राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाईल अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा। (iii) अनुभव– सेना में पूर्व में मोटरयान निरीक्षक अथवा समकक्ष पदों पर कार्य किये हुए अथवा मोटरयान निरीक्षक का कार्य करने की योग्यता रखने वाले सेवा निवृत्त सैन्य कर्मी।	सूचना निर्गत की तिथि को अधिकतम 55 वर्ष

3. उक्त नियोजन पूर्णतः अस्थायी प्रकृति के होंगे एवं नियुक्ति अवधि एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। यदि इस बीच कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर संविदा नियुक्ति बिना सूचना के रद्द की जा सकती है।
4. कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं आवश्यकता होने पर एक–एक वर्ष के लिए (अधिकतम दो बार) सेवावधि विस्तार किया जायेगा। परन्तु यह कि सेवा अवधि के क्रम में यदि मोटरयान निरीक्षकों के नियमित नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी जाती है तो ऐसे संविदा नियोजन को तत्समय स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

5. आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, Discharge Book की छायाप्रति, पेंशन अदायगी आदेश की छायाप्रति, अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति, अनुभव प्रमाण–पत्र एवं जन्म तिथि के प्रमाण की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा। आवेदक के पास यदि भारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति सैन्य सेवा के दौरान था और सेवा निवृत्ति के समय समर्पित किया गया है तो अंतिम रूप से चयनित होने के दो माह के अन्दर असैनिक प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना होगा।
6. प्राप्त आवेदनों की **स्क्रीनिंग निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, राँची, झारखण्ड** द्वारा की जायेगी। तत्पश्चात् सैनिक कल्याण बोर्ड से प्राप्त आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा जिसकी सूचना ई–मेल/दूरभाष एवं विभागीय वेबसाईट **www.jhtransport.gov.in** के माध्यम से दी जायेगी।
7. विभागीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा। चयन समिति की अनुशंसा अंतिम एवं सर्वमान्य होगी।
8. आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजे जायेंगे :–**निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची–834001 ।**
9. आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट **www.jhtransport.gov.in** से डाउनलोड कर स्वहस्तलिखित हस्ताक्षरित आवेदन स्पीड पोस्ट/स्वयं **निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, राँची** के कार्यालय में समर्पित किया जा सकता है।
10. आवेदन समर्पित करने की **अंतिम तिथि–31.07.2019 को अपराह्न 05:00 बजे** तक है। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अहर्त्ताधारी आवेदकों के मोटरयान निरीक्षक के पद पर चयन हेतु साक्षात्कार की सूचना अलग से निर्गत की जायेगी।
11. साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
12. किसी भी समय इस विज्ञापन को बिना कारण बताये निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।